

पत्रांक: BSDM/SDM-94/2019- 2328
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

प्रेषक,

सुरेश कुमार सिंह
मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकास मिशन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रखंड कौशल विकास केंद्र
बिहार।

पटना, दिनांक: 03/10/2024

विषय:- सभी प्रखंड कौशल विकास केंद्रों पर Pre-Paid मीटर लगाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के 'सात निश्चय' में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल विकास केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया जुलाई 2016 से प्रारंभ की गई थी, जिसके आलोक में आपके प्रशिक्षण प्रदाता के द्वारा प्रखंड कौशल विकास केंद्रों के लिए पंजीकरण किया गया था। पंजीकरण के आधार पर आपके एजेंसी को बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा अनुमोदित किया गया जिसके बिजली बिल का भुगतान केंद्र को ही करना होता है इस संबंध में आयोजित बैठक दिनांक: 03/09/2024 की कार्यवाही में निर्णय लिया गया कि सभी BSDC अपने केंद्र पर Pre-Paid मीटर तीन माह के अंदर लगाना सुनिश्चित करेंगे, यदि तीन माह के अंदर Pre-Paid मीटर कनेक्शन नहीं लगाते हैं, तो उनका भुगतान रोक दिया जाएगा।

उक्त के संबंध में सभी प्रखंड कौशल विकास केंद्र अपने केंद्र पर Pre-Paid मीटर तीन माह के अंदर लगाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका भुगतान रोक दिया जाएगा।

विश्वासभाजन



सुरेश कुमार सिंह
मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकास मिशन,
बिहार, पटना।